राष्ट्रीय जल नीति

राष्ट्रीय जल नीति जल क्षेत्र से संबंधित कुछ बुनियादी अवधारणाओं और सिद्धांतों पर एक राष्ट्रीय सहमति वक्तव्य है, जिसे कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अनुशंसित किया जाता है। राज्यों से राष्ट्रीय जल नीति के संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों के अनुरूप उनकी अपनी नीतियां तैयार करने की उम्मीद की जाती है।

1982
- राष्ट्रीय विकास परिषद ने देखा था कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ राज्य और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है

1983
- राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (NWRC) को प्रधान मंत्री के अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों / सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक के रूप में सदस्यों के रूप में स्थापित किया गया था।

1987
- प्रथम राष्ट्रीय जल नीति का अपनाना

1990
- राष्ट्रीय जल बोर्ड (NWB) का गठन सचिव, MoWR के अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों और CWC के अध्यक्ष के रूप में सदस्यों के रूप में गठित किया गया था ताकि NWP के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके।

2002
- NWP की समीक्षा और नवीनतम बनाया गया था।

2012
- संशोधित NWP का मसौदा तैयार करते समय राज्य सरकार, नागरिक समाज और विभिन्न हितधारकों को शामिल किया गया है।

2012
- NWP – 2012 को एनडबल्यूबी द्वारा माना गया और बाद में इसे NWRC द्वारा अपनाया गया था

अगला अध्याय >>
जल प्रशासन के लिए आगे की चुनौतियां